

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 300] No. 300] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 2014/कार्तिक 6, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2014/KARTIKA 6, 1936

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 28 अक्तूबर, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014

सं. एल.ए.डी.-एन. आर.ओ./जी.एन./2014-15/16/1729.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 तथा कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11, धारा 11क, धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों के फायदे संबंधी सभी स्कीमों, जिनके अंतर्गत शेयरों में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, व्यौहार अंतर्विलत है, के विनियमन का, तािक किसी संभािवत हेराफेरी को रोकने के साथ-साथ ऐसी स्कीमों के सुचारू प्रचालन को सुकर बनाया जा सके, और उनसे संबद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

अध्याय-।

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना

- 1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा ।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) इन विनियमों के उपबंध निम्नलिखित पर लागू होंगे
 - i. कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीमें:
 - ii. कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीमें:
 - iii. स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार स्कीमें;

4281 GI/2014 (1)

- iv. कर्मचारी फायदों की साधारण स्कीमें; और
- v. सेवानिवृत्ति फायदा स्कीमें।
- (4) इन विनियमों के उपबंध किसी ऐसी कंपनी पर लागू होंगे जिसके शेयर भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, और जिसकी ऐसी स्कीम हो:
 - i. जो कर्मचारियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदे के लिए हो; और
 - ii. जिसके अंतर्गत कंपनी की प्रतिभूतियों में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, व्यौहार करना या उनमें अभिदान करना या उनका क्रय करना अंतर्वलित हो; और
 - iii. जो निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त को, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, पूरा करती हो:
 - क. स्कीम कंपनी या उसके समूह की किसी अन्य कंपनी द्वारा बनायी जाती है;
 - ख. कंपनी या उसके समूह की किसी अन्य कंपनी द्वारा स्कीम के लिए निधियाँ उपलब्ध करायी जाती हैं या स्कीम की गारंटी दी जाती है;
 - ग. स्कीम का नियंत्रण या प्रबंधन कंपनी या उसके समूह की किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है।
- (5) इन विनियमों की कोई भी बात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट अधिमानी आबंटन (प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट) से संबंधित उपबंधों के अनुपालन में कर्मचारियों को निर्गमित (इश्यूड्) शेयरों पर लागू नहीं होगी।
- (6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट अधिमानी आबंटन से संबंधित उपबंध इन विनियमों के अनुसरण और के अनुपालन में नये शेयर निर्गमित करने वाली कंपनी के मामले में लागू नहीं होंगे।

परिभाषाएँ

- 2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों, पदों और उनके उद्धरणों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिए नियत हैं -
 - क. "मूल्य-वृद्धि" से, यथास्थिति, स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एसएआर) के प्रयोग या एसएआर के निहित होने की तारीख को कंपनी के शेयर की बाजार कीमत और एसएआर कीमत के बीच का अंतर अभिप्रेत है;
 - ख. "सहयुक्त कंपनी" (सहयोजित कंपनी) का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) के अधीन परिभाषित है;
 - ग. "बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है;
 - घ. "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अधीन परिभाषित है;
 - ङ. "आपात (इमर्जेंसी)" से स्कीम के उद्देश्य से उत्पन्न प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए न्यास द्वारा निधियों की आवश्यकता अभिप्रेत है:
 - च. "कर्मचारी" से -
 - (क) कंपनी का वह स्थायी कर्मचारी अभिप्रेत है जो भारत में या भारत के बाहर कार्य कर रहा हो; या
 - (ख) कंपनी का वह निदेशक, चाहे वह पूर्णकालिक निदेशक हो अथवा न हो, अभिप्रेत है किंतु जिसमें स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित नहीं है; या

- (ग) कंपनी की समुनषंगी (सहायक), चाहे भारत में हो या भारत के बाहर, का अथवा नियंत्री कंपनी (होल्डिंग कंपनी) का अथवा सहयुक्त कंपनी का कर्मचारी [खंड (क) या (ख) में यथा परिभाषित] अभिप्रेत है किंतु जिसमें -
 - (i) वह कर्मचारी सम्मिलित नहीं है जो संप्रवर्तक (प्रोमोटर) हो या संप्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्ति हो; या
 - (ii) वह निदेशक सम्मिलित नहीं है जो या तो स्वयं या अपने नातेदार के माध्यम से या किसी निगमित निकाय के माध्यम से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, कंपनी के बकाया इक्विटी शेयरों के दस प्रतिशत से अधिक धारण करता हो:
- छ. "कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम" से वह स्कीम अभिप्रेत है जिसके अधीन कंपनी प्रत्यक्ष रूप से या न्यास के माध्यम से कर्मचारी स्टॉक विकल्प प्रदान करती है;
- ज. "कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम" से वह स्कीम अभिप्रेत है जिसके अधीन कंपनी, सार्वजिनक निर्गम (पब्लिक इश्यू) या अन्यथा के भागरूप, या न्यास के माध्यम से, जहाँ न्यास स्कीम के प्रयोजनार्थ द्वितीयक अर्जन कर सकेगा, कर्मचारियों को शेयरों का प्रस्ताव करती है;
- झ. "प्रयोग" से इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क या भाग-ग, जो लागू हो, के अधीन समाविष्ट स्कीमों के अनुसरण में निहित विकल्पों या निहित एसएआर के प्रति, यथास्थिति, शेयरों के निर्गमन या नकद रूप में मूल्य-वृद्धि के लिए कर्मचारी द्वारा कंपनी को या न्यास को आवेदन करना अभिप्रेत है;
- ञ. "प्रयोग अविध" से निहित होने के पश्चात् की वह समयाविध अभिप्रेत है जिसके भीतर कर्मचारी को इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क या भाग-ग, जो लागू हो, के अधीन समाविष्ट स्कीमों के अनुसरण में निहित विकल्प के प्रति शेयरों या निहित एसएआर के प्रति मूल्य-वृद्धि के लिए आवेदन करने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए;
- ट. "प्रयोग कीमत" से कर्मचारी द्वारा, यथास्थिति इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क या भाग-ग के अधीन समाविष्ट स्कीमों के अनुसरण में, उसे प्रदान किये गये विकल्प या एसएआर का प्रयोग करने के लिए देय कीमत, यदि कोई हो, अभिप्रेत है;
- ठ. "कर्मचारी फायदों की साधारण स्कीम या जीईबीएस" से इन विनियमों के अनुसार बनायी गयी कंपनी की ऐसी कोई स्कीम अभिप्रेत है, जो कर्मचारी कल्याण के प्रयोजनार्थ, जिनमें हेल्थकेयर (स्वास्थ्य संबंधी देखभाल) संबंधी फायदे, अस्पताल में देखभाल संबंधी फायदे अथवा अस्पताली फायदे, या बीमारी, दुर्घटना, निःशक्तता, मृत्यु की दशा में फायदे या छात्रवृत्ति निधियाँ, या ऐसा अन्य फायदा जो ऐसी कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट हो सम्मिलित है, कंपनी के शेयरों या उसकी सूचीबद्ध नियंत्री कंपनी (होल्डिंग कंपनी) के शेयरों में व्यौहार से संबंधित हो;
- ड. "प्रदान करने (ग्रान्ट)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा कंपनी स्कीमों में से किसी स्कीम के अधीन विकल्प, एसएआर, शेयर या कोई अन्य फायदे जारी करती है;
- ढ. "प्रदान करने (ग्रान्ट) की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को प्रतिकर समिति (कम्पन्सेशन कमेटी) प्रदान करने (ग्रान्ट) को अनुमोदित करती है;
- ण. "समूह" से दो या दो से अधिक कंपनियाँ अभिप्रेत हैं जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, -
 - (i) अन्य कंपनी में मताधिकारों के छब्बीस प्रतिशत या उससे अधिक का प्रयोग करने; या
 - (ii) अन्य कंपनी में निदेशक बोर्ड के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य नियुक्त करने; या
 - (iii) अन्य कंपनी के प्रबंधन या कामकाज का नियंत्रण करने,
 - की स्थिति में हों;

- त. "स्वतंत्र निदेशक" का वही अर्थ होगा जो बोर्ड द्वारा यथा विहित इक्विटी सूचीबद्धता करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) के खंड 49 में इसके लिए नियत है;
- थ. "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अधीन परिभाषित है;
- द. "बाजार कीमत" से सुसंगत तारीख से ठीक पहले की तारीख को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हों, में सबसे अंत की उपलब्ध अंतिम कीमत अभिप्रेत है।
 - स्पष्टीकरण.- यदि ऐसे शेयर एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, तो उच्चतर व्यापार की मात्रा वाले स्टॉक एक्सचेंज में अंतिम कीमत को बाजार कीमत माना जाएगा;
- ध. "विकल्प" (ऑप्शन) से कर्मचारी को दिया गया विकल्प अभिप्रेत है जो उसे भावी तारीख को, कंपनी द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, प्रस्तावित शेयरों को, पहले अवधारित की गयी कीमत पर, क्रय करने या उनमें अभिदान करने का अधिकार देता हो;
- न. "विकल्प पाने वाला (ऑप्शन ग्रान्टी)" से वह कर्मचारी अभिप्रेत है जिसके पास कमर्चारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसरण में विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार हो किंतु बाध्यता न हो;
- प. "संप्रवर्तक" (प्रोमोटर) का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के अधीन इसके लिए नियत है;
- फ. "संप्रवर्तक समूह" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के अधीन इसके लिए नियत है:
 - परंतु यह कि जहाँ कंपनी का संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह निगमित निकाय हो, तो वहाँ उस निगमित निकाय के संप्रवर्तक ऐसी कंपनी के संप्रवर्तक भी समझे जायेंगे;
- ब. "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के अधीन परिभाषित है;
- भ. "सुसंगत तारीख" से,-
 - (i) प्रदान किये जाने (ग्रान्ट) के मामले में, प्रतिकर समिति की बैठक की वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को इस प्रकार प्रदान किया जाता है; या
 - (ii) प्रयोग के मामले में, वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को प्रयोग की सूचना कर्मचारी द्वारा कंपनी को या न्यास को दी जाती है;
- म. "सेवानिवृत्ति फायदा स्कीम या आरबीएस" से इन विनियमों के अनुसार बनायी गयी कंपनी की ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति फायदे उपलब्ध कराने के लिए, भारत में सेवानिवृत्ति फायदों से सुसंगत विधियों के अधीन यथा लागू विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुपालन के अध्यधीन, कंपनी के शेयरों या उसकी सूचीबद्ध नियंत्री कंपनी (होल्डिंग कंपनी) के शेयरों में व्यौहार से संबंधित हो;
- य. "एसएआर पाने वाला (एसएआर ग्रान्टी)" से वह कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे एसएआर प्रदान किया जाता है;
- यक."एसएआर कीमत" से मूल्य-वृद्धि की संगणना के प्रयोजनार्थ एसएआर प्रदान किये जाने (ग्रान्ट) की तारीख को परिनिश्चित की गयी आधार कीमत (बेस प्राइस) अभिप्रेत है;
- यख."स्कीम" से अपने कर्मचारियों को शेयर आधारित फायदे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करने वाली कंपनी की स्कीम अभिप्रेत है, जिसका कार्यान्वयन तथा प्रबंधन, इन विनियमों के अनुसार, ऐसी कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या न्यास के माध्यम से, किया जा सकेगा;

- यग."द्वितीयक अर्जन" (सेकन्डरी एक्वीज़िशन) से नकदी प्रतिफल के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर न्यास द्वारा कंपनी के विद्यमान शेयरों का अर्जन अभिप्रेत है:
- यघ."शेयर" से इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ अभिप्रेत हैं और जिसमें अमरीकी निक्षेपागार रसीदें (एडीआर), वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर) अथवा अंडरलाइंग इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों को व्यक्त करने वाली अन्य निक्षेपागार रसीदें सम्मिलित होंगी;
- यङ."स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार या एसएआर" से स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार पाने वाले को दिया गया वह अधिकार अभिप्रेत है जो उसे कंपनी के शेयरों की विनिर्दिष्ट संख्या हेतु मूल्य-वृद्धि प्राप्त करने का हकदार बनाता है जहाँ ऐसी मूल्य-वृद्धि का निपटान नकद भुगतान या कंपनी के शेयरों के रूप में किया जा सकेगा।
 - स्पष्टीकरण.- कंपनी के शेयरों के रूप में निपटाये गये किसी एसएआर को इक्विटी के रूप में निपटाये गये एसएआर के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा:
- यच."स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार स्कीम या एसएआर स्कीम" से वह स्कीम अभिप्रेत है जिसके अधीन कंपनी कर्मचारियों को एसएआर प्रदान करती है;
- यछ."न्यास" से इन विनियमों द्वारा समाविष्ट स्कीमों में से किसी स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, जिसमें उसका कोई कानूनी उपांतर या उसकी कोई पुनःअधिनियमिति सम्मिलित है, के उपबंधों के अधीन स्थापित किया गया न्यास अभिप्रेत है;
- यज."न्यासी" से न्यास का न्यासी अभिप्रेत है;
- यझ."निहित होने" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा कर्मचारी स्कीमों में से किसी स्कीम के अधीन उसे दिये गये ग्रान्ट का फायदा प्राप्त करने का हकदार बन जाता है;
- यञ."निहित अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान स्कीमों में से किसी स्कीम के अधीन प्रदान किया गया विकल्प, एसएआर या फायदा निहित हो जाता है।
- (2) इन विनियमों में उपयोग किये गये तथा अपरिभाषित किंतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और उनके किसी कानूनी उपांतर या उनकी किसी पुनःअधिनियमिति में परिभाषित शब्दों और पदों के वहीं अर्थ होंगे जो उन विधानों में क्रमशः उनके लिए नियत हों।

अध्याय-॥

स्कीमें - कार्यान्वयन और प्रक्रिया

न्यास के माध्यम से स्कीमों का कार्यान्वयन

3. (1) कंपनी या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रतिसंहरणीय न्यास (न्यासों) का गठन करके स्कीमों का कार्यान्वयन कर सकेगी:

परंतु यह कि यदि स्कीम का कार्यान्वयन न्यास के माध्यम से किया जाना है, तो उसका विनिश्चय स्कीमों को बनाने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन लेते समय पहले ही करना होगा:

- परंतु यह और कि यदि स्कीम में द्वितीयक अर्जन या दान (गिफ्ट) या दोनों ही अंतर्विलित हों, तो कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह ऐसी स्कीम (स्कीमों) का कार्यान्वयन न्यास (न्यासों) के माध्यम से करे।
- (2) कंपनी इन विनियमों के अधीन यथा अनुज्ञात कई स्कीमों का कार्यान्वयन एकल न्यास के माध्यम से कर सकेगी :
- परंतु यह कि ऐसा एकल न्यास ऐसी प्रत्येक स्कीम के लिए, समुचित लेखा बहियाँ, अभिलेख और दस्तावेज रखेगा और बनाये रखेगा ताकि इसके संव्यवहारों को स्पष्ट किया जा सके तथा किसी भी समय प्रत्येक स्कीम की वित्तीय स्थिति को प्रकट किया जा सके और विशिष्टितया प्रत्येक स्कीम के कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत किया जा सके।

- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड न्यास विलेख, जिसके अधीन न्यास बनाया जाता है, में सम्मिलित किये जाने वाले न्यूनतम उपबंधों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, और ऐसा न्यास विलेख तथा उसके कोई उपांतर भारत के उस स्टॉक एक्सचेंज के पास अनिवार्य रूप से दाखिल किये जायेंगे जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हों।
- (4) कोई व्यक्ति न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह
 - i. कंपनी अथवा इसकी नियंत्री (होल्डिंग), समनुषंगी (सहायक) या सहयुक्त कंपनी का निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या संप्रवर्तक है अथवा ऐसे निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या संप्रवर्तक का कोई नातेदार है; या
 - ii. फायदाप्रद रूप से कंपनी की समादत्त शेयर पूँजी का दस प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है।

परंतु यह कि जहाँ व्यष्टियों या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा परिभाषित 'एक व्यक्ति कंपनियों' को न्यासियों के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ ऐसे न्यूनमत दो न्यासी होंगे, और यदि कारपोरेट एंटिटी को न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह एकमात्र न्यासी हो सकेगी।

- (5) न्यास, जो इन विनियमों के अधीन विनियमित है, के न्यासी ऐसे न्यास द्वारा धारित शेयरों की बाबत मतदान नहीं करेंगे, ताकि ऐसे मताधिकारों का प्रयोग करने से उद्भूत किसी दुरुपयोग से बचा जा सके।
- (6) न्यासी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयरधारकों से समुचित अनुमोदन कंपनी द्वारा अभिप्राप्त कर लिया गया है, ताकि न्यास स्कीम (स्कीमों) को कार्यान्वित करने में और स्कीम (स्कीमों) के प्रयोजनार्थ द्वितीयक अर्जन करने में समर्थ बन सके।
- (7) न्यास व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्ज़) में व्यौहार नहीं करेगा, और द्वितीयक अर्जन के प्रयोजनार्थ केवल सुपुर्दगी (डिलीवरी) आधारित संव्यवहार (लेन-देन) करेगा जैसा विनियमों द्वारा अनुज्ञात हो।
- (8) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, समय-समय पर यथा संशोधित, जो भी लागू हो, की अपेक्षाओं के अध्यधीन, कंपनी न्यास को समुचित निबंधनों और शर्तों पर धनराशि, स्कीम (स्कीमों) के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ, या तो नये निर्गम (इश्यू) या द्वितीयक अर्जन के माध्यम से शेयर अर्जित करने के लिए, उधार दे सकेगी।
- (9) स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरणों के प्रयोजनार्थ, न्यास की शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) 'गैर-संप्रवर्तक (नॉन-प्रोमोटर) तथा असार्वजनिक (नॉन-पब्लिक)' शेयरधारिता के रूप में दर्शायी जायेगी।

स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यास द्वारा धारित शेयर सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोल्डिंग), जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के अधीन यथा विहित न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत बनाये रखना आवश्यक है, का भाग नहीं होंगे।

- (10) न्यास द्वारा वित्तीय वर्ष में द्वितीयक अर्जन पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विद्यमान समादत्त इक्विटी पूँजी के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (11) न्यास द्वारा द्वितीयक अर्जन के अधीन धारित शेयरों की कुल संख्या किसी भी समय उस वर्ष, जिसमें शेयरधारक का अनुमोदन ऐसे द्वितीयक अर्जन के लिए अभिप्राप्त किया जाता है, के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विद्यमान समादत्त इक्विटी पूँजी के प्रतिशत के रूप में नीचे उल्लिखित विहित सीमाओं से अधिक नहीं होगी:

क्र. सं.	विवरण	सीमा
क	इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क, भाग-ख या भाग-ग में उल्लिखित स्कीमों के लिए	5%
ख	इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-घ या भाग-ङ में उल्लिखित स्कीमों के लिए	2%
ग	सभी स्कीमों के लिए, कुल मिलाकर	5%

स्पष्टीकरण 1: उपरोक्त सीमाओं के दायरे में स्वतः ही कंपनी की विस्तारित पूँजी सम्मिलित हो जायेगी, जहाँ ऐसा विस्तार कंपनी कार्रवाई (कारपोरेट एक्शन), जिसमें बोनस शेयरों का निर्गमन (इश्यू), विभाजन (स्प्लिट) या साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) सम्मिलित है, के कारण हुआ हो।

स्पष्टीकरण 2: यदि कंपनी के अनेक न्यास और स्कीमें हैं, तो उपरोक्त अधिकतम सीमा कंपनी स्तर पर कुल मिलाकर ऐसे सभी न्यासों और स्कीमों के लिए लागू होगी, न कि व्यष्टिक न्यास या स्कीम के स्तर पर।

स्पष्टीकरण 3: उपरोक्त अधिकतम सीमा वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ शेयर नये निर्गम (इश्यू) अथवा संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह या अन्य शेयरधारकों से दान (गिफ्ट) के रूप में न्यास को आबंटित किये जाते हैं।

स्पष्टीकरण 4: उस दशा में जहाँ स्कीमों में से किसी स्कीम के अधीन प्रदान किये गये विकल्प, शेयर या एसएआर उन शेयरों की संख्या से अधिक हो जाते हों जिन्हें न्यास द्वितीयक अर्जन के माध्यम से अर्जित कर सकेगा, तो शेयरों की ऐसी कमी कंपनी द्वारा, लागू विधियों के अधीन शेयरों के नये निर्गम के उपबंधों के अनुसार, न्यास को शेयरों के नये निर्गम के माध्यम से पूरी की जायेगी।

(12) इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क, भाग-ख या भाग-ग के अधीन न्यास द्वारा द्वितीयक अर्जन के माध्यम से अर्जित शेयरों, जो ग्रान्टों से समर्थित न हों, की अविनियोजित इन्वेंटरी को उचित अविध, जो बाद के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेगी, के भीतर विनियोजित किया जायेगा:

परंतु यह कि यदि इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को मौजूद ऐसा न्यास (ऐसे न्यास) ऐसी अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर अविनियोजित इन्वेंटरी को विनियोजित करने में समर्थ न हो (न हों), तो उसे स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) को ऐसी अविध की समाप्ति पर प्रकट किया जायेगा और फिर उसे, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पाँच वर्षों की अविध के भीतर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों), जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हों, में बेचा जायेगा।

- (13) न्यास से यह अपेक्षित होगा कि वह द्वितीयक अर्जन के माध्यम से अर्जित किये गये शेयरों को छह महीनों की न्यूनतम अवधि के लिए धारण करे, सिवाय वहाँ जहाँ उन्हें इस विनियम के उप-विनियम (14) के खंड (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।
- (14) न्यास केवल निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन शेयरों का बाजार से परे (ऑफ-मार्केट) अंतरण (ट्रांसफर) करने के लिए अनुज्ञात होगा:
 - क. स्कीम (स्कीमों) के अनुसरण में कर्मचारियों को अंतरण;
 - ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अधीन खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) में भाग लेते समय, या कंपनी द्वारा साधारणत: उसके शेयरधारकों को प्रस्तावित बाय-बैक (क्रय द्वारा वापस लेने), असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) या किसी अन्य निकास (एग्ज़िट) में भाग लेते समय।
- (15) न्यास शेयरों में व्यापार (ट्रेडिंग) हेतु एक व्यवस्था नहीं बनेगा और इसीलिए द्वितीयक बाजार में शेयर निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन ही बेचेगा अन्यथा नहीं:
 - क. इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क द्वारा समाविष्ट स्कीम के अधीन विकल्पों का प्रयोग बिना नकदी के करने पर ;
 - ख. इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-ग द्वारा समाविष्ट स्कीम के अधीन एसएआर के, यथास्थिति, निहित होने या का प्रयोग करने पर:
 - ग. इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-घ तथा भाग-ङ के अधीन समाविष्ट स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए आपात की दशा में, और इस प्रयोजनार्थ
 - i. न्यासी ऐसी बिक्री के कारण अभिलिखित करेगा; और
 - शेयरों की बिक्री पर इस प्रकार प्राप्त धनराशि का उपयोग स्कीम या न्यास विलेख के अधीन यथा नियत निश्चित समयाविध के भीतर किया जायेगा।

- घ. कंपनी द्वारा साधारणत: उसके शेयरधारकों को, यदि अपेक्षित हो, प्रस्तावित बाय-बैक (क्रय द्वारा वापस लिये जाने) या खुले प्रस्तावों (ओपन ऑफर) या असूचीबद्धता प्रस्तावों (डीलिस्टिंग ऑफर) या किसी अन्य निकास (एग्ज़िट) में भाग लेने पर;
- उधार का प्रतिसंदाय करने के लिए, यदि न्यास द्वारा धारित शेयरों की अविनियोजित इन्वेंटरी इस विनियम के उप-विनियम
 (12) के अधीन यथा उपबंधित समय-सीमा के भीतर विनियोजित नहीं की जाती है।
- च. स्कीम (स्कीमों) का परिसमापन (वाइंडिंग अप) करने पर; और
- छ. इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क या भाग-ख या भाग-ग द्वारा समाविष्ट स्कीमों की बाबत आवेदक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर, आवेदन के साथ बोर्ड के पक्ष में मुंबई में देय बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से एक लाख रुपये की अप्रतिदेय फीस का भुगतान करने पर।
- (16) न्यास से यह अपेक्षित होगा कि वह प्रकटीकरण करे और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 अथवा उसके किसी उपांतर या उसकी किसी पुन: अधिनियमिति के अधीन अंतरंग व्यक्तियों या संप्रवर्तकों के लिए लागू अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करे।

पात्रता

4. कर्मचारी कंपनी की स्कीमों में भाग लेने का पात्र होगा, जैसा प्रतिकर समिति द्वारा अवधारित किया जाये ।

स्पष्टीकरण: जहाँ ऐसा कर्मचारी संस्था द्वारा कंपनी के निदेशक बोर्ड में उसके प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट निदेशक है, तो वहाँ –

- (i) अपने कर्मचारी को कंपनी के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट करने वाली संस्था, और इस प्रकार नियुक्त निदेशक के बीच की गयी संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) या किये गये करार में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:
 - क. क्या कंपनी द्वारा अपनी स्कीम (स्कीमों) के अधीन ग्रान्ट उक्त कर्मचारी द्वारा कंपनी के निदेशक की हैसियत से स्वीकार किये जा सकते हैं;
 - ख. कि यदि निदेशक को ग्रान्ट दिया गया हो, तो ऐसे ग्रान्ट का त्याग नामनिर्दिष्ट करने वाली संस्था के पक्ष में नहीं किया जायेगा; और
 - ग. वे शर्तें जिनके अध्यधीन फीसें, कमीशन, अन्य प्रोत्साहन, आदि निदेशक द्वारा कंपनी से स्वीकारे जा सकते हैं।
- (ii) अपने कर्मचारी को कंपनी के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट करने वाली संस्था उक्त कंपनी के पास संविदा या करार की एक प्रति दाखिल करेगी, जो फिर, उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों के पास वह प्रति दाखिल करेगी जहाँ उसके शेयर सूचीबद्ध हों।
- (iii) इस प्रकार नियुक्त निदेशक अपने नामांकन के पश्चात् कंपनी की बोर्ड बैठक, जिसमें उसने पहली बार भाग लिया हो, के दौरान संविदा या करार की प्रति प्रस्तुत करेगा।

प्रतिकर समिति

5. (1) कंपनी स्कीमों के प्रबंधन और अधीक्षण के लिए प्रतिकर समिति का गठन करेगी :

परंतु यह कि कंपनी अपनी ऐसी अन्य समितियों को प्रतिकर समिति के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी यदि वे इस विनियम के उप-विनियम (2) में यथा उपबंधित मानदंडों को पूरा करती हों:

परंतु यह और कि जहाँ स्कीम का कार्यान्वयन न्यास के माध्यम से किया जा रहा हो, तो वहाँ प्रतिकर समिति ऐसी स्कीमों) का प्रबंधन न्यास को प्रत्यायोजित करेगी ।

- (2) प्रतिकर समिति कंपनी के निदेशक बोर्ड के ऐसे सदस्यों की समिति होगी, जैसा समय-समय पर यथा संशोधित या उपांतरित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अधीन उपबंधित हो।
- (3) प्रतिकर समिति, *अन्य बातों के साथ-साथ*, स्कीमों के विस्तृत निबंधन और शर्तें निर्धारित करेगी, जिनके अंतर्गत इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपबंध सम्मिलित होंगे।

(4) प्रतिकर समिति यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ विरचित करेगी कि न्यास, कंपनी और उसके कर्मचारियों, जो लागू हों, द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित, प्रतिभूति विधियों, जिनमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 सम्मिलित हैं, का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है।

शेयरधारकों का अनुमोदन

- 6. (1) किसी भी स्कीम का प्रस्ताव कंपनी के कर्मचारियों को तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि कंपनी के शेयरधारक उसे साधारण बैठक में विशेष संकल्प पारित करके अनुमोदित नहीं कर देते ।
- (2) स्कीमों के लिए नोटिस (सूचना) के व्याख्यात्मक विवरण और शेयरधारकों द्वारा पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित संकल्प के अंतर्गत इस संबंध में भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट जानकारी सम्मिलित होगी ।
- (3) साधारण बैठक में पृथक् संकल्प के रूप में शेयरधारकों का अनुमोदन कंपनी द्वारा अभिप्राप्त किया जायेगा :
 - क. स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए द्वितीयक अर्जन की दशा में । ऐसे अनुमोदन में द्वितीयक अर्जन, जो किया जा सकेगा, की प्रतिशतता का उल्लेख होगा (इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन)।
 - ख. न्यास द्वारा द्वितीयक अर्जन की दशा में, यदि कंपनी द्वारा किये गये पूँजी प्रसार, जिसमें शेयरों का अधिमानी आबंटन (प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट) या अर्हित संस्था नियोजन (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन्स प्लेसमेंट) सम्मिलित है, के कारण शेयर पूँजी का विस्तार हो जाता है, ताकि कंपनी की ऐसी बढ़ी हुई पूँजी की पाँच प्रतिशत की सीमा (कैप), विनियम 3 के उप-विनियम (11) के अधीन यथा विहित, बनी रहे।
 - ग. समनुषंगी या नियंत्री या सहयुक्त कंपनी के कर्मचारियों को, यथास्थिति, विकल्प, एसएआर, शेयर या अन्य फायदे प्रदान करने (ग्रान्ट करने) की दशा में।
 - **घ**. विनिर्दिष्ट कर्मचारियों को, किसी एक वर्ष के दौरान, यथास्थिति, विकल्प, एसएआर, शेयर या फायदे, यथास्थिति, विकल्पों, एसएआर, शेयरों या प्रोत्साहन प्रदान (ग्रान्ट) करते समय कंपनी की निर्गमित पूँजी [बकाया वारंटों और संपरिवर्तनों (कनवर्ज़न) को छोड़कर] के एक प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक, प्रदान करने (ग्रान्ट करने) की दशा में ।

स्कीमों के निबंधनों (शर्तों) में फेरफार

7. (1) कंपनी स्कीमों के निबंधनों (की शर्तों) में किसी भी प्रकार से फेरफार नहीं करेगी, जो कर्मचारियों के हितों के लिए हानिकर हो:

परंतु यह कि कंपनी किन्हीं विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए स्कीमों के निबंधनों (की शर्तों) में फेरफार करने की हकदार होगी।

- (2) उप-विनियम (1) के परंतुक के अध्यधीन, कंपनी साधारण बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से, साधारण निकाय के पिछले संकल्प के अनुसरण में, प्रस्तावित स्कीमों, किंतु जिनका प्रयोग अभी तक कर्मचारी द्वारा न किया गया हो, के निबंधनों में फेरफार कर सकेगी, बशर्ते कि ऐसा फेरफार कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो।
- (3) विनियम 6 के उपबंध निबंधनों के ऐसे फेरफार पर लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, विकल्प, एसएआर, शेयरों या अन्य फायदों को आरंभ में प्रदान किये जाने के प्रति लागू होते हैं।
- (4) स्कीमों के निबंधनों (की शर्तों) के फेरफार के लिए विशेष संकल्प पारित किये जाने संबंधी नोटिस (की सूचना) में फेरफार के पूरे ब्यौरे, उसका तर्काधार, और उन कर्मचारियों के ब्यौरे प्रकट किये जायेंगे जो ऐसे फेरफार से फायदा पाते हों (के बेनीफिशयरीज़ हों)।
- (5) कंपनी, यथास्थिति, उन विकल्पों, एसएआर या शेयरों का पुन: कीमत-निर्धारण कर सकेगी, जिनका प्रयोग न हुआ हो, फिर चाहे वे निहित हुए हों या न हुए हों, यदि स्कीमें स्टॉक बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट के कारण अनाकर्षक बन गयी हों:

परंतु यह कि कंपनी यह सुनिश्चित करे कि ऐसा पुन: कीमत-निर्धारण कर्मचारियों के हित के लिए हानिकर नहीं होगा और साधारण बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन ऐसे पुन: कीमत-निर्धारण के लिए अभिप्राप्त कर लिया गया हो ।

स्कीमों का परिसमापन

8. न्यास के माध्यम से कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के परिसमापन के मामले में, सभी बाध्यताओं को पूरा करने के पश्चात् न्यास के पास बची अतिरिक्त धनराशि या शेयरों, यदि कोई हों, का उपयोग उधार का प्रतिसंदाय करने के लिए या कर्मचारियों को वितरण के रूप में किया जायेगा, जैसी प्रतिकर समिति द्वारा सिफारिश की जाये।

अनंतरणीयता (नॉन-ट्रांसफरेबिलिटी)

- 9.(1) विनियमों के अधीन कर्मचारी को प्रदान किया गया विकल्प, एसएआर या कोई अन्य फायदा किसी व्यक्ति को अंतरणीय नहीं होगा।
- (2) कर्मचारी, जिसे विकल्प, एसएआर या अन्य फायदा प्रदान किया जाता है, से भिन्न कोई भी व्यक्ति ऐसे विकल्प, एसएआर, फायदे आदि से उद्भृत फायदे का हकदार नहीं होगा :
 - **परंतु यह कि** कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम या एसएआर के मामले में, बिना नकदी के प्रयोग किये जाने के अधीन, कंपनी स्वयं प्रयोग कीमत के भुगतान हेतु निधि (फंड) उपलब्ध करा सकेगी या प्रयोग कीमत के भुगतान हेतु निधि (फंड) उपलब्ध कराने के लिए सूची में सम्मिलित (पैनलित) स्टॉक दलालों को अनुज्ञात कर सकेगी जिसे कुछ या सभी शेयरों के विक्रय आगमों के प्रति समायोजित किया जायेगा, लागू विधि या विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन।
- (3) कर्मचारी को प्रदान किये गए विकल्प, एसएआर या किसी अन्य फायदे को गिरवी, आडमान, बंधक या अन्यथा किसी भी अन्य प्रकार से उसका अन्यसंक्रामण नहीं किया जायेगा।
- (4) नियोजन के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में, ऐसी तारीख तक स्कीम के अधीन उसे प्रदान किए गए सभी विकल्प, एसएआर या कोई अन्य फायदा मृत कर्मचारी के विधिक वारिसों अथवा नामनिर्देशितियों में निहित हो जायेगा।
- (5) यदि कर्मचारी नियोजन के दौरान स्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है, तो स्थायी रूप से असमर्थता की तारीख को स्कीम के अधीन उसे प्रदान किए गए सभी विकल्प, एसएआर या कोई अन्य फायदा उस दिन उसमें निहित हो जायेगा।
- (6) कर्मचारी के पदत्याग या सेवा-समाप्ति की दशा में, सभी विकल्प, एसएआर या कोई ऐसे अन्य फायदे, जो प्रदान किये जाते हैं और उस दिन तक निहित नहीं होते, समाप्त हो जायेंगे:
 - परंतु यह कि कर्मचारी, विनियम 5 के उप-विनियम (3) के अधीन प्रतिकर समिति द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, इन विनियमों द्वारा समाविष्ट सभी निहित विकल्पों, एसएआर या किसी अन्य फायदे को रखे रहने का हकदार होगा।
- (7) उस दशा में जब कर्मचारी, जिसे स्कीम के अधीन फायदे प्रदान किये गये हों, को निहित होने या प्रयोग करने से पूर्व सहयुक्त कंपनी में स्थानांतरित या प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, तो इस प्रकार स्थानांतरित या प्रतिनियुक्त किये गये कर्मचारी के मामले में, स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के पश्चात् भी, प्रदान किये जाने (ग्रान्ट) के निबंधनों के अनुसार निहित होना और प्रयोग करना जारी रहेगा।

सूचीबद्धता

- 10. यदि शेयरों का नया निर्गम किसी स्कीम के अधीन लाया जाता है, तो इस प्रकार निर्गमित शेयरों को, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, तुरंत किसी ऐसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जायेगा जहाँ मौजूदा शेयर सूचीबद्ध हों :
 - क. स्कीम इन विनियमों के अनुपालन में है;
 - ख. इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विवरण दाखिल किया है, और कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धांतिक अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया है;
 - ग. जब भी प्रयोग किया जाता है, तब कंपनी इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को सूचित कर देती है।

असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की गयी स्कीमें

11. असूचीगत कंपनी के आरंभिक सार्वजिनक प्रस्ताव ("आईपीओ") के पश्चात्, उसके आरंभिक सार्वजिनक प्रस्ताव से पूर्व किसी स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्रदान किये गये विकल्पों या एसएआर में से, उद्भूत शेयरों को, प्रयोग किये जाने पर तुरंत सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हों, में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 और जहाँ लागू हो, वहाँ विनियम 12 के उप-विनियम (1) के अनुपालन के अध्यधीन, सूचीबद्ध किया जायेगा।

अनुपालन और शर्तें

- 12.(1) कोई भी कंपनी कोई नया ग्रान्ट नहीं देगी जिसमें इसके आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) से पूर्व और उसके इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता से पूर्व बनायी गयी किन्हीं स्कीमों ('पूर्व-आईपीओ स्कीम') के अधीन उसके कर्मचारियों को शेयरों का आबंटन या अंतरण अंतर्विलत है, जब तक कि :
 - (i) ऐसी पूर्व-आईपीओ स्कीम इन विनियमों के अनुरूप न हो; और
 - (ii) ऐसी पूर्व-आईपीओ स्कीम आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के पश्चात् इसके शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थित न हो ।

परंतु यह कि खंड (ii) के अधीन अनुसमर्थन ऐसी पूर्व-आईपीओ स्कीम के अधीन नये विकल्पों या शेयरों या एसएआर प्रदान करने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकेगा।

- (2) ऐसी पूर्व-आईपीओ स्कीमों के अधीन जारी विकल्पों या शेयरों या एसएआर के निबंधनों में कोई भी परिवर्तन, चाहे पुन: कीमत-निर्धारण के कारण हो, निहित अविध या परिपक्कता (मैच्यूरिटी) में परिवर्तन हो या अन्य किसी प्रकार से हो, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे परिवर्तन के लिए शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन न ले लिया जाये, इन विनियमों के अनुसार की गयी कंपनी कार्रवाईयों (कारपोरेट एक्शन्स) के लिए किन्हीं समायोजनों के सिवाय।
- (3) कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम, कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम या एसएआर के अनुसरण में निर्गमित शेयरों की सूचीबद्धता के लिए, कंपनी उन स्टॉक एक्सचेंजों का सैद्धाँतिक अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी जहाँ वह उक्त शेयरों को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव करती हो।
- (4) जब नियंत्री कंपनी अपनी समनुषंगी के कर्मचारी को विकल्प, शेयर, एसएआर या फायदे जारी करती है, तो नियंत्री कंपनी द्वारा ऐसे विकल्प, शेयर, एसएआर या फायदे जारी करने हेतु किया गया खर्च समनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों की 'लेखों के प्रति टिप्पणियों' में प्रकट किया जायेगा।
- (5) उप-विनियम (4) के अधीन आने वाले किसी मामले में, यदि समनुषंगी नियंत्री कंपनी द्वारा समनुषंगी के कर्मचारियों को विकल्प, एसएआर या फायदे प्रदान करने में किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति करती है, तो समनुषंगी और नियंत्री कंपनी दोनों ही अपने वित्तीय विवरणों की 'लेखों के प्रति टिप्पणियों' में, यथास्थिति, भुगतान या प्राप्ति को प्रकट करेंगी।
- (6) कंपनी, विनियम 10 के खंड (ख) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धाँतिक अनुमोदन अभिप्राप्त करने तक, इन विनियमों द्वारा स्माविष्ट स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए रजिस्ट्रीकृत मर्चेंट बैंककार को नियुक्त करेगी।

लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र

13. प्रत्येक ऐसी कंपनी के मामले में जिसने इन विनियमों के अधीन स्कीमों के लिए संकल्प पारित किया हो, निदेशक बोर्ड प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के समक्ष कंपनी के लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र रखेगा कि स्कीम (स्कीमों) का कार्यान्वयन इन विनियमों के अनुसार और साधारण बैठक में कंपनी के संकल्प के अनुसार किया गया है।

प्रकटीकरण

14. उस जानकारी के अतिरिक्त जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कर्मचारी फायदों के संबंध में कंपनी द्वारा प्रकट की जानी अपेक्षित है, ऐसी कंपनी का निदेशक बोर्ड कार्यान्वित की जा रही स्कीम (स्कीमों) के ब्यौरे भी प्रकट करेगा, जैसा इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

लेखा नीतियाँ

- 15.(1) शेयर आधारित स्कीमों में से किसी स्कीम को कार्यान्वित करने वाली कोई कंपनी 'कर्मचारी शेयर आधारित भुगतानों के लेखे संबंधी गाइडेंस नोट' (गाइडेंस नोट) या लेखा मानकों की अपेक्षाओं, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा समय-समय पर विहित की जायें, जिनके अंतर्गत उसमें विहित प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएँ सम्मिलित हैं, का अनुसरण करेगी।
- (2) जहाँ मौजूदा गाइडेंस नोट या लेखा मानक के अंतर्गत इन विनियमों के अधीन समाविष्ट स्कीमों में से किसी स्कीम के लिए लेखा व्यवहार (लेखा प्रतिपादन) या प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएँ विहित न हों, तो वहाँ कंपनी सुसंगत लेखा मानक, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये, का अनुपालन करेगी।

अध्याय-III

विनिर्दिष्ट स्कीमों का प्रबंधन

भाग-क: कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम

प्रबंधन और कार्यान्वयन

- 16.(1) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम में उस रीति के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जिस रीति से स्कीम कार्यान्वित और प्रवर्तित होगी।
- (2) किसी भी कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण कंपनी द्वारा भावी ऑप्शन ग्रान्टी (विकल्प पाने वालों) को न कर दिये जायें।

कीमत-निर्धारण

17. कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसरण में अपने कर्मचारियों को विकल्प प्रदान करने वाली कंपनी को प्रयोग कीमत अवधारित करने की स्वतंत्रता होगी, इसके अध्यधीन कि ऐसा विनियम 15 में विनिर्दिष्ट लेखा नीतियों के अनुरूप हो।

निहित अवधि

18. (1) कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के मामले में एक वर्ष की न्यूनतम निहित अवधि होगी:

परंतु यह कि उस मामले में जहाँ विकल्प कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अधीन, अन्य कंपनी जिसका उस कंपनी में विलय या समामेलन हो गया हो में कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अधीन व्यक्ति द्वारा धारित विकल्पों के बदले, प्रदान किये जाते हैं, तो जिस अविध के दौरान अंतरक (ट्रांसफरर) कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विकल्प उसके द्वारा धारण किये गये थे, उस अविध को इस उप-विनियम के अधीन अपेक्षित न्यूनतम निहित अविध के प्रति समायोजित किया जाएगा।

(2) कंपनी विकल्प के प्रयोग के अनुसरण में निर्गमित शेयरों के लिए अवरुद्धता (लॉक-इन) अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

विकल्प धारक के अधिकार

19. कर्मचारी को उसे प्रदान किये गये विकल्प की बाबत कोई लाभांश प्राप्त करने या मतदान करने या किसी भी प्रकार से शेयरधारक के फायदों का उपभोग करने का अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक शेयर विकल्प का प्रयोग करने पर निर्गमित नहीं कर दिये जाते।

विकल्प का प्रयोग करने में असफलता का परिणाम

- 20. विकल्प प्रदान करने के समय कर्मचारी द्वारा देय रकम, यदि कोई हो,
 - कंपनी द्वारा समपहृत की जा सकेगी यदि विकल्प का प्रयोग कर्मचारी द्वारा प्रयोग अविध के भीतर नहीं किया जाता;
 या
 - ख. कर्मचारी को लौटायी जा सकेगी यदि कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसार विकल्प निहित होने से संबंधित शर्तें पूरी न होने के कारण विकल्प निहित नहीं होते ।

भाग-ख: कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम

प्रबंधन और कार्यान्वयन:

21. इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम में उस रीति के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जिस रीति से स्कीम कार्यान्वित और प्रवर्तित होगी।

कीमत-निर्धारण और अवरुद्धता (लॉक-इन)

- 22.(1) कंपनी कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम के अधीन निर्गमित किये जाने वाले शेयरों की कीमत अवधारित कर सकेगी, बशर्ते कि वे विनियम 15 के अधीन लेखा नीतियों के उपबंधों के अनुरूप हों।
- (2) कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम के अधीन निर्गमित शेयर आबंटन की तारीख से एक वर्ष की न्यूनतम अविध के लिए रुद्ध (लॉक्ड-इन) हो जायेंगे:
 - **परंतु यह कि** उस मामले में जहाँ शेयर कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम के अधीन, अन्य कंपनी जिसका पहले उल्लिखित कंपनी में विलय या समामेलन हो गया हो में कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम के अधीन उसी व्यक्ति द्वारा अर्जित शेयरों के बदले, आबंटित किये जाते हैं, तो अंतरक (ट्रांसफरर) कंपनी के शेयरों की बाबत पहले से ही पूरी की गयी अवरुद्धता (लॉक-इन) अविध को इस उप-विनियम के अधीन अपेक्षित अवरुद्धता (लॉक-इन) अविध के प्रति समायोजित किया जाएगा।
- (3) यदि कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) का भाग है और कर्मचारियों को शेयर उसी कीमत पर निर्गमित किये जाते हैं जो कीमत सार्वजनिक निर्गम में हो, तो कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम के अनुसरण में कर्मचारियों को निर्गमित शेयर अवरुद्धता (लॉक-इन) के अध्यधीन नहीं होंगे।

भाग-ग : स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार स्कीम (एसएआरएस)

प्रबंधन और कार्यान्वयन:

- 23.(1) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, एसएआर स्कीम में उस रीति के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जिस रीति से स्कीम कार्यान्वित और प्रवर्तित होगी।
- (2) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, कंपनी को नकद रूप में निपटायी गयी या इक्विटी के रूप में निपटायी गयी एसएआर स्कीम कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता होगी:
 - परंतु यह कि इक्विटी के रूप में निपटायी गयी एसएआर स्कीम के मामले में, यदि निपटान फ्रैक्शनल (भिन्नात्मक) शेयरों में परिणामित होता है, तो फ्रैक्शनल शेयरों के लिए प्रतिफल का निपटान नकद रूप में किया जाना चाहिए।
- (3) किसी भी एसएआर का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण कंपनी द्वारा भावी एसएआर ग्रान्टी (एसएआर पाने वालों) को न कर दिये जायें।

निहित होना:

24.(1) एसएआर स्कीम के मामले में एक वर्ष की न्यूनतम निहित अवधि होगी:

परंतु यह कि उस मामले में जहाँ एसएआर कंपनी द्वारा एसएआर स्कीम के अधीन, अन्य कंपनी जिसका पहले उल्लिखित कंपनी में विलय या समामेलन हो गया हो में एसएआर स्कीम के अधीन उसी व्यक्ति द्वारा धारित एसएआर के बदले, प्रदान किया जाता है, तो जिस अविध के दौरान अंतरक (ट्रांसफरर) कंपनी द्वारा प्रदान किए गए एसएआर कर्मचारी द्वारा धारण किये गये थे, उस अविध को इस उप-विनियम के अधीन अपेक्षित न्यूनतम निहित अविध के प्रति समायोजित किया जाएगा।

एसएआर धारक के अधिकार:

25. कर्मचारी को उसे प्रदान किये गये एसएआर की बाबत लाभांश प्राप्त करने या मतदान करने या किसी भी प्रकार से शेयरधारक के फायदों का उपभोग करने का अधिकार नहीं होगा।

भाग-घ : कर्मचारी फायदों की साधारण स्कीम

प्रबंधन और कार्यान्वयन:

- 26. (1) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, कर्मचारी फायदों की साधारण स्कीम में स्कीम और उस रीति के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जिस रीति से स्कीम कार्यान्वित और प्रवर्तित होगी।
- (2) किसी भी समय, कंपनी के शेयर या उसकी सूचीबद्ध नियंत्री कंपनी के शेयर, कर्मचारी फायदों की साधारण स्कीम के प्रयोजनार्थ, स्कीम की कुल आस्तियों, जो उसके सबसे अंत के तुलनपत्र में दी हुई हों, के बही मूल्य या बाजार मूल्य या उचित मूल्य, जो भी कम हो, के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

भाग-ङ : सेवानिवृत्ति फायदा स्कीम

प्रबंधन और कार्यान्वयन:

- 27.(1) सेवानिवृत्ति फायदा स्कीम कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा सकेगी बशर्ते कि यह इन विनियमों और सेवानिवृत्ति फायदों के संबंध में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुपालन में हो ।
- (2) सेवानिवृत्ति फायदा स्कीम में स्कीम के अधीन फायदों और उस रीति के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जिस रीति से स्कीम कार्यान्वित और प्रवर्तित होगी।
- (3) किसी भी समय, कंपनी के शेयर या उसकी सूचीबद्ध नियंत्री कंपनी के शेयर, सेवानिवृत्ति फायदा स्कीम के प्रयोजनार्थ, स्कीम की कुल आस्तियों, जो उसके सबसे अंत के तुलनपत्र में दी हुई हों, के बही मूल्य या बाजार मूल्य या उचित मूल्य, जो भी कम हो, के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

अध्याय-IV

विविध उपबंध

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:

- 28.(1) इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन और लागू होने में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड को मार्गदर्शन टिप्पणों (गाइडेंस नोट) या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति होगी।
- (2) बोर्ड को मार्गदर्शन टिप्पणों या परिपत्रों के माध्यम से ऐसी प्रकटीकरण और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति होगी, जो निवेशकों (विनिधानकर्ताओं), प्रतिभूति बाजार के हित के संरक्षण के लिए और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों के फायदे संबंधी सभी स्कीमों, जिनके अंतर्गत शेयरों में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, व्यौहार अंतर्विलत है, के विनियमन के लिए और उनसे संबद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों के लिए आवश्यक हों।

विनियमों के कड़े प्रवर्तन को शिथिल करने की शक्ति:

- 29.(1) बोर्ड *स्वप्रेरणा से* या कंपनी द्वारा किये गये आवेदन पर, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, इन विनियमों में से किसी विनियम का कड़ाई से अनुपालन करने से शिथिलीकरण ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रदान कर सकेगा जो बोर्ड प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों तथा प्रतिभूति बाजार के हितों में अधिरोपित करना ठीक समझे।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन करने वाली कंपनी, बोर्ड के पक्ष में मुंबई में देय बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से एक लाख रुपये की अप्रतिदेय फीस अदा करेगी।

बोर्ड द्वारा निदेश और चूक (व्यतिक्रम) की दशा में कार्रवाई:

30. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) तथा उनके किसी कानूनी उपांतर या उनकी किसी पुन:अधिनियमिति के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हितों में कोई निदेश या आदेश जारी कर सकेगा अथवा कोई उपाय कर सकेगा, और इन विनियमों के किसी उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा।

निरसन और व्यावृत्तियाँ:

- 31.(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम और कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम) मार्गदर्शक सिद्धाँत, 1999 [सेबी (एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लॉई स्टॉक पर्चेज़ स्कीम) गाइडलाइन्स, 1999] एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।
 - (2) ऐसा निरसन होने पर भी -
 - (क) द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों को अर्जित करने संबंधी प्रतिषेध, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के तारीख 27 जून, 2014 के परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसीसैल/3/2014 में उपबंधित है, तब तक जारी रहेगा जब तक मौजूदा स्कीमें इन विनियमों के अनुरूप नहीं हो जातीं;
 - (ख) मौजूदा स्कीमों, जिन पर ये विनियम लागू होते हैं, वाली सभी सूचीबद्ध कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे इन विनियमों के प्रभावी होने के एक वर्ष के भीतर इन_विनियमों का पूर्णत: अनुपालन करें, निम्नलिखित अपवादों के अध्यधीन:
 - (i) कंपनी की कर्मचारी फायदा स्कीमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, शेयरों को, इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक, धारण करने वाले न्यासों के पास, शेयरों में अपनी धारिता (होलिंडग) को ऐसी सीमाओं तक नीचे लाने के लिए पाँच वर्षों की अविध होगी;
 - (ii) कर्मचारी फायदों की साधारण स्कीम या सेवानिवृत्ति फायदा स्कीम को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, शेयरों को, जो न्यास (न्यासों) की कुल आस्तियों के कुल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक हो जाते हैं, जैसा इन विनियमों के अधीन उपबंधित है, धारण करने वाले न्यासों के पास, शेयरों में अपनी धारिता (होल्डिंग) को ऐसी सीमाओं तक नीचे लाने के लिए पाँच वर्षों की अविध होगी;
 - (iii) विनियम 3 के उप-विनियम (9) के प्रयोजनार्थ और पर्याप्त सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोल्डिंग) को बनाये रखने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के शेयरों को धारण करने वाले जिन न्यासों को 'संप्रवर्तक' (प्रोमोटर) या 'सार्वजनिक' शेयरधारिता के रूप में दर्शाया गया हो, उन्हें केवल पाँच वर्षों की अतिरिक्त अविध के लिए इस तरह से दर्शाये जाते रहने की अनुज्ञा दी जायेगी;
 - (ग) निरिसत मार्गदर्शक सिद्धाँतों का पूर्व प्रवर्तन अथवा उनके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात, निरिसत मार्गदर्शक सिद्धाँतों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, निरिसत मार्गदर्शक सिद्धाँतों के खिलाफ किये गये किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड, अथवा यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, अप्रभावित रहेंगे मानो कि निरिसत मार्गदर्शक सिद्धाँत कभी निरिसत न हुए हों;
 - (घ) निरिसत मार्गदर्शक सिद्धाँतों के अधीन, ऐसे निरसन के पूर्व, की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात या किसी कार्रवाई जिसमें प्रारंभ किया गया कोई न्यायनिर्णयन, जाँच या अन्वेषण अथवा जारी की गई कारण बताओ सूचना सम्मिलित है, के बारे में यह समझा जायेगा कि वे इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई हैं; और
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम और कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम) मार्गदर्शक सिद्धाँत, 1999 [सेबी (एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लॉई स्टॉक पर्चेज़ स्कीम) गाइडलाइन्स, 1999] के निरसन के पश्चात्, बोर्ड द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य विनियमों, तदधीन जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धाँतों या परिपत्रों में उसके प्रति किसी संदर्भ के बारे में यह समझा जायेगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के प्रति एक संदर्भ है।

[विज्ञापन-III/4/असा./69-जेडबी/14]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 28th October, 2014

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SHARE BASED EMPLOYEE BENEFITS) REGULATIONS, 2014

No. LAD/NRO/GN/2014-15/16/1729.—In exercise of the powers conferred by section 11, section 11A, section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with section 62 of Companies Act, 2013 and rule 12 of Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to provide for regulation of all schemes by companies for the benefit of their employees involving dealing in shares, directly or indirectly, with a view to facilitate smooth operation of such schemes while preventing any possible manipulation and matters connected therewith or incidental thereto.

CHAPTER I PRELIMINARY

Short title, commencement and application.

- 1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) The provisions of these regulations shall apply to following, -
 - (i) employee stock option schemes;
 - (ii) employee stock purchase schemes;
 - (iii) stock appreciation rights schemes;
 - (iv) general employee benefits schemes; and
 - (v) retirement benefit schemes.
- (4) The provisions of these regulations shall apply to any company whose shares are listed on a recognised stock exchange in India, and has a scheme:
 - (i) for direct or indirect benefit of employees; and
 - (ii) involving dealing in or subscribing to or purchasing securities of the company, directly or indirectly; and
 - (iii) satisfying, directly or indirectly, any one of the following conditions:
 - a. the scheme is set up by the company or any other company in its group;
 - b. the scheme is funded or guaranteed by the company or any other company in its group;
 - c. the scheme is controlled or managed by the company or any other company in its group.
- (5) Nothing in these regulations shall apply to shares issued to employees in compliance with the provisions pertaining to preferential allotment as specified in the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.
- (6) The provisions pertaining to preferential allotment as specified in the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 shall not be applicable in case of a company issuing new shares in pursuance and compliance of these regulations.

Definitions.

- 2.(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the following words, expressions and derivations therefrom shall have the meanings assigned to them as under
 - a. "appreciation" means the difference between the market price of the share of a company on the date of exercise of stock appreciation right (SAR) or vesting of SAR, as the case may be, and the SAR price;
 - b. "associate company" shall have the same meaning as defined under section 2(6) of the Companies Act, 2013;
 - c. Board" means the Securities and Exchange Board of India or SEBI;
 - d. "control" shall have the same meaning as defined under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - e. "emergency" means the need of funds by the trust to meet the commitment arising out of the objective of the scheme;
 - f. "employee" means,
 - (i) a permanent employee of the company who has been working in India or outside India; or
 - (ii) a director of the company, whether a whole time director or not but excluding an independent director; or

- (iii) an employee as defined in clauses (a) or (b) of a subsidiary, in India or outside India, or of a holding company of the company or of an associate company but does not include—
- (a) an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group;

or

- (b) a director who either himself or through his relative or through any body corporate, directly or indirectly, holds more than ten percent of the outstanding equity shares of the company;
- g. "employee stock option scheme or ESOS" means a scheme under which a company grants employee stock option directly or through a trust;
- h. "employee stock purchase scheme or ESPS" means a scheme under which a company offers shares to employees, as part of public issue or otherwise, or through a trust where the trust may undertake secondary acquisition for the purposes of the scheme;
- i. "exercise" means making of an application by an employee to the company or to the trust for issue of shares or appreciation in form of cash, as the case may be, against vested options or vested SARs in pursuance of the schemes covered under Part A or Part C of Chapter III of these regulations, as applicable;
- j. "exercise period" means the time period after vesting within which an employee should exercise his right to apply for shares against the vested option or appreciation against vested SAR in pursuance of the schemes covered under Part A or Part C of Chapter III of these regulations, as applicable;
- k. "exercise price" means the price, if any, payable by the employee for exercising the option or SAR granted to him in pursuance of the schemes covered under Part A or Part C of Chapter III of these regulations, as the case may be;
- 1. "general employee benefits scheme or GEBS" means any scheme of a company framed in accordance with these regulations, dealing in shares of the company or the shares of its listed holding company, for the purpose of employee welfare including healthcare benefits, hospital care or benefits, or benefits in the event of sickness, accident, disability, death or scholarship funds, or such other benefit as specified by such company;
- m. "grant" means the process by which the company issues options, SARs, shares, or any other benefits under any of the schemes;
- n. "grant date" means the date on which the compensation committee approves the grant;
- o. "group" means two or more companies which, directly or indirectly, are in a position to,
 - (i) exercise twenty-six per cent. or more of the voting rights in the other company; or
 - (ii) appoint more than fifty per cent. of the members of the board of directors in the other company; or
 - (iii) control the management or affairs of the other company;
- p. "independent director" shall have the same meaning assigned to it in Clause 49 of the equity Listing Agreement as prescribed by the Board;
- q. "key managerial personnel" shall have the same meaning as defined under section 2(51) of the Companies Act, 2013;
- r. "market price" means the latest available closing price on a recognised stock exchange on which the shares of the company are listed on the date immediately prior to the relevant date.
 - Explanation.- If such shares are listed on more than one stock exchange, then the closing price on the stock exchange having higher trading volume shall be considered as the market price;
- s. "option" means the option given to an employee which gives him a right to purchase or subscribe at a future date, the shares offered by the company, directly or indirectly, at a pre-determined price;
- t. "option grantee" means an employee having a right but not an obligation to exercise an option in pursuance of ESOS;
- u. "promoter" shall have the same meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- v. "promoter group" shall have the same meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009:
 - Provided where the promoter or promoter group of a company is a body corporate, the promoters of that body corporate shall also be deemed to be promoters of such company;
- w. "relative" shall have the same meaning as defined under section 2(77) of the Companies Act, 2013;
- x. "relevant date" means,-
 - (i). in the case of grant, the date of the meeting of the compensation committee on which the grant is made; or

- (ii). in the case of exercise, the date on which the notice of exercise is given to the company or to the trust by the employee;
- y. "retirement benefit scheme or RBS" means a scheme of a company, framed in accordance with these regulations, dealing in shares of the company or the shares of its listed holding company, for providing retirement benefits to the employees subject to compliance with existing rules and regulations as applicable under laws relevant to retirement benefits in India;
- z. "SAR grantee" means an employee to whom SAR is granted;
- za. "SAR price" means the base price defined on the grant date of SAR for the purpose of computing appreciation;
- zb. "scheme" means a scheme of a company proposing to provide share based benefits to its employees, which may be implemented and administered directly by such company or through a trust, in accordance with these regulations;
- zc. "secondary acquisition" means acquisition of existing shares of the company by the trust on the platform of a recognised stock exchange for cash consideration;
- zd. "share" means equity shares and securities convertible into equity shares and shall include American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) or other depository receipts representing underlying equity shares or securities convertible into equity shares;
- ze. "stock appreciation right or SAR" means a right given to a SAR grantee entitling him to receive appreciation for a specified number of shares of the company where the settlement of such appreciation may be made by way of cash payment or shares of the company.

Explanation.- An SAR settled by way of shares of the company shall be referred to as equity settled SAR;

- zf. "stock appreciation right scheme or SAR scheme" means a scheme under which a company grants SAR to employees;
- zg. "trust" means a trust established under the provisions of Indian Trusts Act, 1882 including any statutory modification or re-enactment thereof, for implementing any of the schemes covered by these regulations;
- zh. "trustee" means the trustee of the trust;
- zi. "vesting" means the process by which the employee becomes entitled to receive the benefit of a grant made to him under any of the schemes;
- zj. "vesting period" means the period during which the vesting of option, SAR or a benefit granted under any of the schemes takes place;
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and any statutory modification or re-enactment thereto, shall have the meanings respectively assigned to them in those legislation.

CHAPTER II

SCHEMES - IMPLEMENTATION AND PROCESS

Implementation of schemes through trust.

3. (1) A company may implement schemes either directly or by setting up an irrevocable trust(s):

Provided that if the scheme is to be implemented through a trust the same has to be decided upfront at the time of taking approval of the shareholders for setting up the schemes:

Provided further that if the scheme involves secondary acquisition or gift or both, then it is mandatory for the company to implement such scheme(s) through a trust(s).

(2) A company may implement several schemes as permitted under these regulations through a single trust:

Provided that such single trust shall keep and maintain proper books of account, records and documents, for each such scheme so as to explain its transactions and to disclose at any point of time the financial position of each scheme and in particular give a true and fair view of the state of affairs of each scheme.

- (3) SEBI may specify the minimum provisions to be included in the trust deed under which the trust is formed, and such trust deed and any modifications thereto shall be mandatorily filed with the stock exchange in India where the shares of the company are listed.
- (4) A person shall not be appointed as a trustee, if he
 - i. is a director, key managerial personnel or promoter of the company or its holding, subsidiary or associate company or any relative of such director, key managerial personnel or promoter; or
 - ii. beneficially holds ten percent or more of the paid-up share capital of the company.

Provided where individuals or 'one person companies' as defined under the Companies Act, 2013 are appointed as trustees, there shall be a minimum of two such trustees, and in case a corporate entity is appointed as a trustee, then it may be the sole trustee.

- (5) The trustees of a trust, which is governed under these regulations, shall not vote in respect of the shares held by such trust, so as to avoid any misuse arising out of exercising such voting rights.
- (6) The trustee should ensure that appropriate approval from the shareholders has been obtained by the company in order to enable the trust to implement the scheme(s) and undertake secondary acquisition for the purposes of the scheme(s).
- (7) The trust shall not deal in derivatives, and shall undertake only delivery based transactions for the purposes of secondary acquisition as permitted by these regulations.
- (8) Subject to the requirements of Companies Act, 2013 read with Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014, as amended from time to time, as may be applicable, the company may lend monies to the trust on appropriate terms and conditions to acquire the shares either through new issue or secondary acquisition, for the purposes of implementation of the scheme(s).
- (9) For the purposes of disclosures to the stock exchange, the shareholding of the trust shall be shown as 'non-promoter and non-public' shareholding.

Explanation: For the removal of doubts, it is clarified that shares held by the trust shall not form part of the public shareholding which needs to be maintained at a minimum of twenty five per cent as prescribed under Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

- (10) Secondary acquisition in a financial year by the trust shall not exceed two per cent of the paid up equity capital as at the end of the previous financial year.
- (11) The total number of shares under secondary acquisition held by the trust shall at no time exceed the below mentioned prescribed limits as a percentage of the paid up equity capital as at the end of the financial year immediately prior to the year in which the shareholder approval is obtained for such secondary acquisition:

Sr. No.	Particulars	Limit
A	for the schemes enumerated in Part A, Part B or Part C of Chapter III of these regulations	5%
В	for the schemes enumerated in Part D, or Part E of Chapter III of these regulations	2%
С	for all the schemes in aggregate	5%

Explanation 1.- The above limits shall automatically include within their ambit the expanded capital of the company where such expansion has taken place on account of corporate action including issue of bonus shares, split or rights issue.

Explanation 2.- If a company has multiple trusts and schemes, the aforesaid ceiling limit shall be applicable for all such trusts and schemes taken together at the company level and not at the level of individual trust or scheme.

Explanation 3.- The above ceiling limit will not be applicable where shares are allotted to the trust by way of new issue or gift from promoter or promoter group or other shareholders.

Explanation 4.- In the event that the options, shares or SAR granted under any of the schemes exceeds the number of shares that the trust may acquire through secondary acquisition, then such shortfall of shares shall be made up by the company through new issue of shares to the trust in accordance with the provisions of new issue of shares under the applicable laws.

(12) The un-appropriated inventory of shares which are not backed by grants, acquired through secondary acquisition by the trust under Part A, Part B or Part C of Chapter III of these regulations, shall be appropriated within a reasonable period which shall not extend beyond the end of the subsequent financial year:

Provided that if such trust(s) existing as on the date of notification of these regulations are not able to appropriate the unappropriated inventory within one year of such notification, the same shall be disclosed to the stock exchange(s) at the end of such period and then the same shall be sold on the recognized stock exchange(s) where shares of the company are listed, within a period of five years from the date of notification of these regulations.

- (13) The trust shall be required to hold the shares acquired through secondary acquisition for a minimum period of six months except where they are required to be transferred in the circumstances enumerated in clause (b) of sub-regulation (14) of this regulation.
- (14) The trust shall be permitted to undertake off-market transfer of shares only under the following circumstances:
 - (a). transfer to the employees pursuant to scheme(s);

- (b). when participating in open offer under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, or when participating in buy-back, delisting or any other exit offered by the company generally to its shareholders.
- (15) The trust shall not become a mechanism for trading in shares and hence shall not sell the shares in secondary market except under the following circumstances:
 - (a). cashless exercise of options under the scheme covered by Part A of Chapter III of these regulations;
 - (b). on vesting or exercise, as the case may be, of SAR under the scheme covered by Part C of Chapter III of these regulations;
 - (c). in case of emergency for implementing the schemes covered under Part D and Part E of Chapter III of these regulations, and for this purpose -
 - (i). the trustee shall record the reasons for such sale; and
 - (ii). money so realised on sale of shares shall be utilised within a definite time period as stipulated under the scheme or trust deed.
 - (d). participation in buy-back or open offers or delisting offers or any other exit offered by the company generally to its shareholders, if required;
 - (e). for repaying the loan, if the un-appropriated inventory of shares held by the trust is not appropriated within the timeline as provided under sub-regulation (12) of this regulation;
 - (f). winding up of the scheme(s); and
 - (g). based on approval granted by SEBI to an applicant, for the reasons recorded in writing in respect of the schemes covered by Part A or Part B or Part C of Chapter III of these regulations, upon payment of a non-refundable fee of rupees one lakh along with the application by way of a banker's cheque or demand draft payable at Mumbai in favour of the Board.
- (16) The trust shall be required to make disclosures and comply with the other requirements applicable to insiders or promoters under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 or any modification or re-enactment thereto.

Eligibility.

4. An employee shall be eligible to participate in the schemes of the company as determined by the compensation committee.

Explanation.- Where such employee is a director nominated by an institution as its representative on the board of directors of the company –

- (i) The contract or agreement entered into between the institution nominating its employee as the director of a company, and the director so appointed shall, *inter alia*, specify the following:
 - a. whether the grants by the company under its scheme(s) can be accepted by the said employee in his capacity as director of the company;
 - b. that grant if made to the director, shall not be renounced in favour of the nominating institution; and
 - c. the conditions subject to which fees, commissions, other incentives, etc. can be accepted by the director from the company.
- (ii) the institution nominating its employee as a director of a company shall file a copy of the contract or agreement with the said company, which shall, in turn file the copy with all the stock exchanges on which its shares are listed.
- (iii) the director so appointed shall furnish a copy of the contract or agreement at the first board meeting of the company attended by him after his nomination.

Compensation committee.

5. (1) A company shall constitute a compensation committee for administration and superintendence of the schemes:

Provided that the company may designate such of its other committees as compensation committee if they fulfil the criteria as provided in sub-regulation (2) of this regulation:

Provided further that where the scheme is being implemented through a trust the compensation committee shall delegate the administration of such scheme(s) to the trust.

- (2) The compensation committee shall be a committee of such members of the board of directors of the company as provided under section 178 of the Companies Act, 2013, as amended or modified from time to time.
- (3) The compensation committee shall, *inter alia*, formulate the detailed terms and conditions of the schemes which shall include the provisions as specified by Board in this regard.

(4) The compensation committee shall frame suitable policies and procedures to ensure that there is no violation of securities laws, as amended from time to time, including Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 and Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to the Securities Market) Regulations, 2003 by the trust, the company and its employees, as applicable.

Shareholders approval.

- 6. (1) No scheme shall be offered to employees of a company unless the shareholders of the company approve it by passing a special resolution in the general meeting.
 - (2) The explanatory statement to the notice and the resolution proposed to be passed by shareholders for the schemes shall include the information as specified by SEBI in this regard.
 - (3) Approval of shareholders by way of separate resolution in the general meeting shall be obtained by the company in case of:
 - (a). Secondary acquisition for implementation of the schemes. Such approval shall mention the percentage of secondary acquisition (subject to limits specified under these regulations) that could be undertaken;
 - (b). Secondary acquisition by the trust in case the share capital expands due to capital expansion undertaken by the company including preferential allotment of shares or qualified institutions placement, to maintain the five per cent. cap as prescribed under sub-regulation (11) of regulation 3 of such increased capital of the company;
 - (c). Grant of option, SAR, shares or other benefits, as the case may be, to employees of subsidiary or holding or associate company;
 - (d). Grant of option, SAR, shares or benefits, as the case may be, to identified employees, during any one year, equal to or exceeding one per cent. of the issued capital (excluding outstanding warrants and conversions) of the company at the time of grant of option, SAR, shares or incentive, as the case may be.

Variation of terms of the schemes.

7. (1) The company shall not vary the terms of the schemes in any manner, which may be detrimental to the interests of the employees:

Provided that the company shall be entitled to vary the terms of the schemes to meet any regulatory requirements.

- (2) Subject to the proviso to sub-regulation (1), the company may by special resolution in a general meeting vary the terms of the schemes offered pursuant to an earlier resolution of the general body but not yet exercised by the employee provided such variation is not prejudicial to the interests of the employees.
- (3) The provisions of regulation 6 shall apply to such variation of terms as they apply to the original grant of option, SAR, shares or other benefits, as the case may be.
- (4) The notice for passing special resolution for variation of terms of the schemes shall disclose full details of the variation, the rationale therefor, and the details of the employees who are beneficiaries of such variation.
- (5) A company may reprice the options, SAR or shares, as the case may be which are not exercised, whether or not they have been vested if the schemes were rendered unattractive due to fall in the price of the shares in the stock market:

Provided that the company ensures that such repricing shall not be detrimental to the interest of the employees and approval of the shareholders in general meeting has been obtained for such repricing.

Winding up of the schemes.

8. In case of winding up of the schemes being implemented by a company through trust, the excess monies or shares remaining with the trust after meeting all the obligations, if any, shall be utilised for repayment of loan or by way of distribution to employees as recommended by the compensation committee.

Non-transferability.

- 9.(1) Option, SAR or any other benefit granted to an employee under the regulations shall not be transferable to any person.
 - (2) No person other than the employee to whom the option, SAR or other benefit is granted shall be entitled to the benefit arising out of such option, SAR, benefit etc.:
 - Provided that in case of ESOS or SAR, under cashless exercise, the company may itself fund or permit the empanelled stock brokers to fund the payment of exercise price which shall be adjusted against the sale proceeds of some or all the shares, subject to the provisions of the applicable law or regulations.

- (3) The option, SAR, or any other benefit granted to the employee shall not be pledged, hypothecated, mortgaged or otherwise alienated in any other manner.
- (4) In the event of death of the employee while in employment, all the options, SAR or any other benefit granted to him under a scheme till such date shall vest in the legal heirs or nominees of the deceased employee.
- (5) In case the employee suffers a permanent incapacity while in employment, all the options, SAR or any other benefit granted to him under a scheme as on the date of permanent incapacitation, shall vest in him on that day.
- (6) In the event of resignation or termination of the employee, all the options, SAR, or any other benefit which are granted and yet not vested as on that day shall expire:
 - Provided that an employee shall, subject to the terms and conditions formulated by the compensation committee under the sub-regulation (3) of regulation 5, be entitled to retain all the vested options, SAR, or any other benefit covered by these regulations.
- (7) In the event that an employee who has been granted benefits under a scheme is transferred or deputed to an associate company prior to vesting or exercise, the vesting and exercise as per the terms of grant shall continue in case of such transferred or deputed employee even after the transfer or deputation.

Listing.

- 10. In case new issue of shares is made under any scheme, shares so issued shall be listed immediately in any recognised stock exchange where the existing shares are listed, subject to the following conditions:
 - (a). Scheme is in compliance with these regulations;
 - (b). A statement as specified by SEBI in this regard, is filed and the company has obtained an in-principle approval from the stock exchanges;
 - (c). As and when an exercise is made, the company notifies the concerned stock exchange as per the statement as specified by SEBI in this regard.

Schemes implemented by unlisted companies.

11. The shares arising after the initial public offering ("IPO") of an unlisted company, out of options or SAR granted under any scheme prior to its IPO to the employees shall be listed immediately upon exercise in all the recognised stock exchanges where the shares of the company are listed subject to compliance with the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 and where applicable, sub-regulation (1) of regulation 12.

Compliances and conditions.

- 12. (1) No company shall make any fresh grant which involves allotment or transfer of shares to its employees under any schemes formulated prior to its IPO and prior to the listing of its equity shares ('pre-IPO scheme') unless:
 - (i) Such pre-IPO scheme is in conformity with these regulations; and
 - (ii) Such pre-IPO scheme is ratified by its shareholders subsequent to the IPO.
 - Provided that the ratification under clause (ii) may be done any time prior to grant of new options or shares or SAR under such pre-IPO scheme.
- (2) No change shall be made in the terms of options or shares or SAR issued under such pre-IPO schemes, whether by repricing, change in vesting period or maturity or otherwise unless prior approval of the shareholders is taken for such a change, except for any adjustments for corporate actions made in accordance with these regulations.
- (3) For listing of shares issued pursuant to ESOS, ESPS or SAR, the company shall obtain the in-principle approval of the stock exchanges where it proposes to list the said shares.
- (4) When holding company issues option, share, SAR or benefits to the employee of its subsidiary, the cost incurred by the holding company for issuing such option, share, SAR or benefits shall be disclosed in the 'notes to accounts' of the financial statements of the subsidiary company.
- (5) In a case falling under sub-regulation (4), if the subsidiary reimburses the cost incurred by the holding company in granting option, share, SAR or benefits to the employees of the subsidiary, both the subsidiary as well as the holding company shall disclose the payment or receipt, as the case may be, in the 'notes to accounts' to their financial statements.
- (6) The company shall appoint a registered merchant banker for the implementation of schemes covered by these regulations till the stage of obtaining in-principle approval from the stock exchanges in accordance with clause (b) of regulation 10.

Certificate from auditors.

13. In the case of every company that has passed a resolution for the schemes under these regulations, the board of directors shall at each annual general meeting place before the shareholders a certificate from the auditors of the

company that the scheme(s) has been implemented in accordance with these regulations and in accordance with the resolution of the company in the general meeting.

Disclosures.

14. In addition to the information that a company is required to disclose, in relation to employee benefits under the Companies Act, 2013, the board of directors of such a company shall also disclose the details of the scheme(s) being implemented, as specified by SEBI in this regard.

Accounting policies.

- 15. (1) Any company implementing any of the share based schemes shall follow the requirements of the 'Guidance Note on Accounting for employee share-based Payments' (Guidance Note) or Accounting Standards as may be prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) from time to time, including the disclosure requirements prescribed therein.
- (2) Where the existing Guidance Note or Accounting Standard do not prescribe accounting treatment or disclosure requirements for any of the schemes covered under these regulations then the company shall comply with the relevant Accounting Standard as may be prescribed by the ICAI from time to time.

CHAPTER III

ADMINISTRATION OF SPECIFIC SCHEMES

PART A: EMPLOYEE STOCK OPTION SCHEME (ESOS)

Administration and implementation.

- 16. (1) Subject to the provisions of these regulations, the ESOS shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated.
- (2) No ESOS shall be offered unless the disclosures, as specified by Board in this regard, are made by the company to the prospective option grantees.

Pricing.

17. The company granting option to its employees pursuant to ESOS will have the freedom to determine the exercise price subject to conforming to the accounting policies specified in regulation 15.

Vesting period.

18.(1) There shall be a minimum vesting period of one year in case of ESOS:

Provided that in case where options are granted by a company under an ESOS in lieu of options held by a person under an ESOS in another company which has merged or amalgamated with that company, the period during which the options granted by the transferor company were held by him shall be adjusted against the minimum vesting period required under this sub-regulation.

(2) The company may specify the lock-in period for the shares issued pursuant to exercise of option.

Rights of the option holder.

19. The employee shall not have right to receive any dividend or to vote or in any manner enjoy the benefits of a shareholder in respect of option granted to him, till shares are issued upon exercise of option.

Consequence of failure to exercise option.

- 20. The amount payable by the employee, if any, at the time of grant of option, -
 - (a). may be forfeited by the company if the option is not exercised by the employee within the exercise period; or
 - (b). may be refunded to the employee if the options are not vested due to non-fulfilment of conditions relating to vesting of option as per the ESOS.

PART B: EMPLOYEE STOCK PURCHASE SCHEME (ESPS)

Administration and implementation.

21. Subject to the provisions of these regulations, the ESPS scheme shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated.

Pricing and lock-in.

- 22.(1) The company may determine the price of shares to be issued under an ESPS, provided they conform to the provisions of accounting policies under regulation 15.
- (2) Shares issued under an ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment:
 - Provided that in case where shares are allotted by a company under an ESPS in lieu of shares acquired by the same person under an ESPS in another company which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the lock-in period already undergone in respect of shares of the transferor company shall be adjusted against the lock-in period required under this sub-regulation.

(3) If ESPS is part of a public issue and the shares are issued to employees at the same price as in the public issue, the shares issued to employees pursuant to ESPS shall not be subject to lock-in.

PART C: STOCK APPRECIATION RIGHTS SCHEME (SARS)

Administration and implementation.

- 23. (1) Subject to the provisions of these regulations, the SAR scheme shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated.
- (2) Subject to the provisions of these regulations, a company shall have the freedom to implement cash settled or equity settled SAR scheme:
 - Provided that in case of equity settled SAR scheme, if the settlement results in fractional shares, then the consideration for fractional shares should be settled in cash.
- (3) No SAR shall be offered unless the disclosures, as specified by Board in this regard, are made by the company to the prospective SAR grantees.

Vesting.

24. (1) There shall be a minimum vesting period of one year in case of SAR scheme:

Provided that in a case where SAR is granted by a company under a SAR scheme in lieu of SAR held by the same person under a SAR scheme in another company which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the period during which the SAR granted by the transferor company were held by the employee shall be adjusted against the minimum vesting period required under this sub-regulation.

Rights of the SAR holder.

25. The employee shall not have right to receive dividend or to vote or in any manner enjoy the benefits of a shareholder in respect of SAR granted to him.

PART D: GENERAL EMPLOYEE BENEFITS SCHEME (GEBS)

Administration and implementation.

- 26. (1) Subject to the provisions of these regulations, GEBS shall contain the details of the scheme and the manner in which the scheme shall be implemented and operated.
 - (2) At no point in time, the shares of the company or shares of its listed holding company shall exceed ten per cent of the book value or market value or fair value of the total assets of the scheme, whichever is lower, as appearing in its latest balance sheet for the purposes of GEBS.

PART E: RETIREMENT BENEFIT SCHEME (RBS)

Administration and implementation.

- 27. (1) Retirement benefit scheme may be implemented by a company provided it is in compliance with these regulations, and provisions of any other law in force in relation to retirement benefits.
- (2) The retirement benefit scheme shall contain the details of the benefits under the scheme and the manner in which the scheme shall be implemented and operated.
- (3) At no point in time, the shares of the company or shares of its listed holding company shall exceed ten per cent of the book value or market value or fair value of the total assets of the scheme, whichever is lower, as appearing in its latest balance sheet for the purposes of RBS.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Power to remove difficulties.

- 28. (1) In order to remove any difficulties in the interpretation and application of the provisions of these regulations, the Board shall have the power to issue clarifications through guidance notes or circulars.
 - (2) The Board shall have power to specify such disclosure and process requirements through guidance notes or circulars, as may be necessary for protection of interest of investors, securities market and for regulation of all schemes, by listed companies for the benefit of their employees, involving dealing, directly or indirectly, in shares and matters connected therewith or incidental thereto.

Power to relax strict enforcement of the regulations.

- 29. (1) The Board may *suo motu* or on an application made by a company, for reasons recorded in writing, grant relaxation from strict compliance with any of these regulations subject to such conditions as the Board deems fit to impose in the interests of investors in securities and the securities market.
 - (2) A company making an application under sub-regulation (1), shall pay a non-refundable fee of rupees one lakh by way of a banker's cheque or demand draft payable at Mumbai in favour of the Board.

Directions by the Board and action in case of default.

30. The Board may issue any direction or order or undertake any measure in the interests of the investors or the securities market, and deal with any contravention of these regulations, in exercise of its powers under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and any statutory modification or re-enactment thereto.

Repeals and savings.

- 31. (1) Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, -
 - (a) prohibition on acquiring securities from the secondary market as provided in SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/3/2014 dated June 27, 2014 shall continue till the existing schemes are aligned with these regulations;
 - (b) all listed companies having existing schemes to which these regulations apply are required to comply with these regulations in their entirety within one year of the same coming into effect, subject to the following exceptions:
 - (i) trusts holding shares, for the purposes of implementing employee benefits schemes of the company, beyond the permissible limits as provided under these regulations, shall have a period of five years to bring down its holding in shares to such limits;
 - (ii) trusts holding shares, for the purposes of implementing GEBS or RBS, which exceed ten per cent. of the total value of the total assets of the trust(s) as provided under these regulations, shall have a period of five years to bring down its holding in shares to such limits;
 - (iii) for the purposes of sub-regulation (9) of regulation 3 and ensuring compliance with the requirement of maintaining adequate public shareholding, those trusts holding shares of the company which are shown either as 'promoter' or 'public' shareholding, shall be permitted to continue to be shown them as such for a further period of only five years;
 - (c) the previous operation of the repealed guidelines or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed guidelines, any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the repealed guidelines, or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed guidelines had never been repealed;
 - (d) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any adjudication, enquiry or investigation commenced or show-cause notice issued under the repealed guidelines prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations; and
 - (e) after the repeal of Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999, any reference thereto in any other regulations made, guidelines or circulars issued thereunder by the Board shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

[ADVT-III/4/Exty.69-ZB/14] U. K. SINHA, Chairman